भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 111
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

'पैक्स' द्वारा किसान उत्पादक संगठन बनाया जाना

111# डॉ. अनिल जैन:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाये जा रहे हैं;
(ख)यदि हाँ, तो ऐसे कितने किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं; और
(ग) इन किसान उत्पादक संगठनों द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जाएंगे ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ "'पैक्स' द्वारा किसान उत्पादक संगठन बनाया जाना" के संबंध में, संसद सदस्य डॉ. अनिल जैन द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 111 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी हाँ मान्यवर।

(ख) एवं (ग): भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 6,865 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की । इससे किसानों को अपनी क्रय शक्ति बढ़ाने, *इकोनॉमीस ऑफ स्केल* का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत कम करने और कृषि उपज के एकत्रीकरण के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे सतत आय की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है।

योजना के अंतर्गत, एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 15.00 लाख रुपये की सीमा तक एफपीओ के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के मैचिंग इक्विटी अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही, संस्थागत ऋण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण प्रदान करने वाली संस्था से प्रति एफपीओ परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफपीओ को पांच साल की अवधि तक संवर्धन हेतु क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को 25 लाख रुपये भी दिए जाते हैं।

एफपीओ का गठन एवं संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है, जो एफपीओ का गठन करने तथा उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए सीबीबीओ को 5 साल की अवधि के लिए प्रयुक्त/भर्ती करती है। अब तक, एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए 14 कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी दी गई है जिसमें लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) आदि शामिल हैं।

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को 10,000 एफपीओ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में 7597 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें एनसीडीसी द्वारा पंजीकृत 672 एफपीओ भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (पैक्स) को सुदृढ करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना "10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन" के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को अतिरिक्त 1,100 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

1100 एफपीओ के लक्ष्य के सापेक्ष एनसीडीसी द्वारा 645 ब्लॉकों का चयन एवं आवंटन पूरा कर लिया गया है।

एफ.पी.ओ. अपने विकास के लिए यथावश्यक निम्नलिखित प्रासंगिक प्रमुख सेवाओं और गतिविधियों को प्रदान और संचालित कर सकते हैं:-

i. यथोचित रूप से निम्न थोक दरों पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और इस तरह के अन्य निवेश जैसे गुणवता उत्पादन इनपुट की आपूर्ति करना।

ii. प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों हेतु कस्टम हायरिंग आधार पर कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर और इस तरह के अन्य मशीनरी और उपकरणों की तर्ज पर जरुरत आधारित उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन मशीनरी और उपकरणों को उपलब्ध कराना।

iii. सफाई, परख, उँटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और साथ ही यथोचित सस्ती दर पर यूजर चार्ज के आधार पर फार्म लेवल प्रोसेसिंग जैसी मूल्य संवर्धन सुविधाएँ उपलब्ध कराना । भंडारण और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

iv. बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय देने वाली गतिविधियाँ।

v. किसान सदस्यों की उपज के छोटे लॉट को एकत्र करना तथा मूल्य संवर्धन करके उन्हें अधिक बिक्री योग्य बनाना ।

vi. उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उपज के बारे में बाजार की जानकारी को सुगम बनाना।

vii. साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग अन / अनेक लोडिंग आदि जैसी - लाजिस्टिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

viii. खरीददारों को बेहतर मोल-भाव की ताकत के साथ और बेहतर और पारिश्रमिक कीमतों की पेशकश करने वाले विपणन चैनलों में कुल उपज का विपणन ।

एफपीओ के साथ पैक्स का एकीकरण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघों के माध्यम से उन्हें आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य के माध्यम से मौजूदा पैक्स को सुदृढ करेगा। इससे पैक्स की आर्थिक गतिविधियों में विविधता आएगी, जिससे वे आय के नए और स्थिर स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम होंगे।

****